

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जोधपुर

महेन्द्र मेघवाल


बनाम

राहुल कटारिया व अन्य

किरम मुकदमा - 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या - P/101/2025

जीसीएमएस नं 2025/212

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.07.2025	<p>वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रूपचन्द्र सेन व सुनिता भाटी उपस्थित। राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जरिये सामान्य डाक से जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 02.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर</p>	
23/7/25	<p>वकील वादी द्वारा सार्थना पत्र "पत्रावली को आज ही पेशी पर लिये जाने हेतु" प्रस्तुत किया गया। शा. नि. टी। उक्त सार्थना पत्र में वकील वादी द्वारा यह कथन किया गया कि "वादी महेन्द्र मेघवाल पत्रावली विडो कला-चाहता है। अतः पत्रावली विडो करने का आदेश प्रभावित" अतः वादी वकील का उक्त सार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>वकील वादी को डाक सार्थना पत्र बाबत "पत्रावली के विडो करने की अनुमति खदान करने" स्वीकार किया जाकर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेंद्र मेघवाल / राहुल कटारिया व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>बाढ़ी का बाढ़ जरिये बिजोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुफाट कीकर नम्बर से कम ही दर्ज दफ्तर है।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर</p> 